भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151

(जिसका उत्तर मंगलवार, 6 मार्च, 2018 को दिया गया)

डेयरी सेक्टर के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.)

1151. श्री अमर शंकर साबले:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेयरी उद्योग विभिन्न परेशानियों से जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स पर ऊंचा 'कर', अधिकांश गायों और भैंसों की खराब नस्ल, संगठित डेयरी फार्म का अभाव, निवेश की कमी, डेयरी से जुड़ी मशीनों और उपकरणों की ऊंची कीमत और डेयरी उपकरणों पर लगने वाली ड्यूटी से जूझ रहा है;

(ख) क्या सरकार इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए तथा डेयरी सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का हिस्सा बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): डेयरी उत्पादों (दूध और घरेलू दुग्ध उत्पाद) जैसे दही, लस्सी, छाछ, छैना या पनीर (यूनिट कंटेनर में रखे जाने वाले और पंजीकृत ब्रांड नाम वाले उत्पादों को छोड़कर) के लिए जीएसटी दर 0% है। आइसक्रीम को छोड़कर, जिस पर 18% जीएसटी दर लगाई गई है, को छोड़कर अन्य सभी डेयरी उत्पाद 5 से 12% जीएसटी दर में रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक डेयरी उपकरणों पर कर का संबंध है, डेयरी उपकरण 12 से 28 % जीएसटी दर में रखे गए हैं।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****